भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 582
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों में दुर्घटनाएँ

582. श्री काली चरण सिंहः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) की प्रत्येक इकाई/संयंत्र में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले स्थायी, संविदा वाले, प्रशिक्षु और अन्य श्रेणियों के श्रमिकों/कामगारों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या औद्योगिक दुर्घटनाओं में मानव मृत्यु और गंभीर सुरक्षा विफलताएं संबंधित इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर), पदोन्नति, प्रदर्शन से जुड़ा वेतन (पीआरपी) या अन्य प्रोत्साहनों से नहीं जुड़ी हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन या प्रबंधन की लापरवाही के लिए पहचाने गए अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई का इकाई-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा भविष्य में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस और समयबद्ध कदम का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) संविदागत श्रमिकों सहित अपने सभी कर्मचारियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से दैनिक प्रचालनों में कार्य-विशिष्ट सुरक्षा उपायों को शामिल करता है। पिछले दस वर्षों के दौरान सेल के सभी संयंत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण 131 मौतें (नियमित और संविदागत कामगारों सहित) दर्ज की गई थीं।

सेल द्वारा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन या लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार पाए गए कार्मिकों या ठेकेदारों के विरुद्ध लागू नियमों के अनुसार उपयुक्त अनुशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। सेल ने बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों को शामिल करके, मैन-मशीन इंटरफ़ेस को कम करने के लिए डिजिटल हस्तक्षेप, केंद्रित कौशल-विकास प्रशिक्षण, व्यवहारिक सुरक्षा पहल और अनिवार्य रोजगार सुरक्षा विवरण के माध्यम से अपने सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है।

******